ऑन लाईन नं.RCMS2023/42

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 24/2023

श्री जीत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रविकुमार पुत्र श्री दिवानचन्द **–खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक–**
मै0 गगन स्वीट हाउस, वार्ड नम्बर 16, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 17.03.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री जीत सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं संशोधित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.08.2011 को प्रकाशित कर दिया गया । व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्यक्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक निदेशालय के आदेश क्रमांकः–खाद्य सुरक्षा/निदे0/2022/337 दिनांक 20.04.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.12.2022 को 2.00 पी.एम. का **मै0** गगन स्वीट हाउस, वार्ड नम्बर 16, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता रविकुमार पुत्र श्री दिवानचन्द अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर एल्युमिनियम रेक में 5 किलो ग्राम **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। जिसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर देते हुए वरवक्त की मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** में से 2 किलोग्राम **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** विक्रेता से खरीद। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** का नगद भुगतान 720/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे श्री रविकुमार एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री रविकुमार को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** को बराबर–बराबर भागों में बांटकर लिया। चारों भागों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर **के कोड व कमांक के–1615** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **के कोड व कमांक के–1615** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रविकुमार एवं गवाहान ने भी पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/03/एक्ट/2023/03 दिनांक 10.01.2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1615 Sub-standard Food as extracted fat does not conform the standard of Milk fat** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त रविकुमार पुत्र श्री दिवानचन्द **मै0** गगन स्वीट हाउस, वार्ड नम्बर 16, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:– मै रविकुमार मक्कड़ वार्ड नम्बर 16, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का निवासी हूँ तथा मिठाई का दुकानदार हूँ तथा दिनांक 30.12.2022 को मेरी दुकान गगन स्वीट हाउस का नमूना भरे जाने पर सब स्टेण्डर्ड (**Sub-standard Food**) पाया गया। हम मिठाई बनी हुई लेते है और आगे विक्रय करते है। हमसे एक भूल हो गयी कि हमने माल की सही से जांच करके नहीं लिया। अतः मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम माल की पूर्ण जांच करवाकर ही खरीदगें तथा आगे विक्रय करेंगे। मुझे पता है कि मेरी इस गलती का क्या परिणाम होगा लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आगे से अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखकर ही दुकानदारी करूंगा। कृप्या करके मेरी इस गलती को क्षमा कर दें और मुझे सम्भलनें का अवसर प्रदान करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Barfi Mithai (Made bu Milk & Sugar)** का सैम्पल **K-1615** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस / 03 / एक्ट / 2023 / 03 दिनांक 10.01.2023 द्वारा **Sub-standard Food as extracted fat does not conform the standard of Milk fat** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि मै रविकुमार मक्कड़ वार्ड नम्बर 16, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का निवासी हूँ तथा मिठाई का दुकानदार हूँ तथा दिनांक 30.12.2022 को मेरी दुकान गगन स्वीट हाउस का नमूना भरे जाने पर सब स्टेण्डर्ड (**Sub-standard Food**) पाया गया। हम मिठाई बनी हुई लेते है और आगे विक्रय करते है। हमसे एक भूल हो गयी कि हमने माल की सही से जांच करके नहीं लिया। अतः मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम माल की पूर्ण जांच करवाकर ही खरीदगें तथा आगे विक्रय करेंगे। मुझे पता है कि मेरी इस गलती का क्या परिणाम होगा लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आगे से अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखकर ही दुकानदारी करूंगा। कृप्या करके मेरी इस गलती को क्षमा कर दें और मुझे सम्भलनें का अवसर प्रदान करें।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "**Barfi Mithai (Made bu Milk & Sugar)" bearing Code No and Sr. No. K-1615 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as extracted fat does not conform the standard of Milk fat as it is not conform to the prescribed Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

फलस्वरूप अभियुक्त अनुराग पुत्र श्री रविकुमार को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त रविकुमार पुत्र श्री दिवानचन्द को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000—00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में रविकुमार पुत्र श्री दिवानचन्द खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर